(196)

संख्याः 182 /XV-1/15/ 1(1)/14

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 24 फरवरी 2015

पशुपालन अनुभाग–1

विषयः अहिल्याबाई होल्कर भेड़/बकरी विकास राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत पशुपालक लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 से राज्य सेक्टर के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत भेड़पालकों एवं बकरीपालकों के सहायतार्थ "अहिल्याबाई होल्कर भेड़ बकरी विकास योजना" प्रारम्भ की जा रही है, जिसमें भेड़पालकों का बायोमैट्रिक पंजीकरण, उन्नत प्रजाति की भेड़ एवं बकरी इकाईयों की स्थापना लगभग 90 प्रतिशत अनुदान पर की जायेगी।

2. अहिल्याबाई होल्कर भेड़ बकरी विकास योजना के सफल संचालन हेतु लाभार्थियों के चयन, चयन प्रक्रिया, पशु क्रय, क्रय समिति, पशु बीमा, प्रति इकाई लागत निम्नानुसार निर्धारित होगी :–

(अ) लाभार्थियों के चयन हेतु समिति :–

1. विकास खण्ड स्तर का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1
2. संबंधित क्षेत्र का पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2/पशुधन प्रसार अधिकारी
3. संबंधित विकास खण्ड का खण्ड विकास अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सहायक विकास अधिकारी

(ब) चयन की प्रक्रिया :–

संबंधित क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी संबंधित ग्राम में व्यापक प्रचार–प्रसार करके चयन हेतु एक तिथि निर्धारित करेंगे। इस तिथि को ग्राम सभा की खुली बैठक में लाभार्थी का चयन पशुधन प्रसार अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी या उनके द्वारा नामित सहायक विकास अधिकारी एवं प्रधान द्वारा किया जायेगा व चयन की सूची संबंधित पशुचिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी। विकास खण्ड स्तर पर चयन समिति सभी लाभार्थियों के प्रस्ताव पर विचार कर अन्तिम चयन सूची तैयार करेगी। यह योजना सभी वर्ग के लाभार्थियों हेतु उपलब्ध है। बी०पी०एल० एवं अनुसूचित जाति (19 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति (4 प्रतिशत) के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा योजना का लाभ First come First Serve के आधार पर दिया जायेगा। राज्य सरकार की अन्य स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों का चयन योजनान्तर्गत नहीं किया जायेगा। बी०पी०एल०, बेरोजगार व्यक्ति/महिला, कम आय वाले तथा निर्धनतम व्यक्ति/महिला को योजनान्तर्गत प्राथमिकता प्रदान की जायेगी तथा लाभार्थी का उसी ग्राम का निवासी होना अनिवार्य है, जिस ग्राम से लाभार्थी का चयन किया जा रहा है।

(स) लागत प्रति इकाई–(भेड़ एवं बकरी इकाई– 10 मादा एवं 01 नर) :–

विवरण	कुल धनराशि ₹ में	राजकीय अनुदान	लाभार्थी अंश
दस मादा भेड़ों/बकरियों का क्रय मूल्य	60000.00	91770.00	8000.00
एक नर मेढ़े/बकरे का क्रय मूल्य	8000.00		
पशुशाला की मरम्मत /निर्माण	20000.00		
औषधि/टीकाकरण	770.00		
पशु यातायात, पशु बीमा, फोटो, साईनबोर्ड आदि पर व्यय	11000.00		
योग	**99770.00**	**91770.00**	**8000.00**

लाभार्थी अंशदान इकाई लागत का लगभग 8 प्रतिशत प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष नर मेढ़े/बकरे की व्यवस्था लाभार्थी द्वारा स्वयं की जायेगी।

(द) पशु क्रय समिति :–

(1) संबंधित क्षेत्र का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1
(2) संबंधित जनपद के जिलाधिकारी का एक प्रतिनिधि
(3) वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि
(4) संबंधित क्षेत्र का पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2/पशुधन प्रसार अधिकारी
(5) लाभार्थी

(य) पशु क्रय :–

योजनान्तर्गत 12 से 15 माह की भेड़ों/बकरियों व मेढ़ों/बकरों का क्रय किया जायेगा। पशुओं का क्रय लाभार्थी एवं क्रय समिति द्वारा यथासंभव प्रदेश के अन्तर्गत एवं आवश्यकतानुसार प्रदेश के बाहर से किया जायेगा। क्रय से पूर्व पशुओं का चिकित्सीय परीक्षण अवश्य किया जायेगा तथा संबंधित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु क्रय स्थल पर पशु के पूर्ण स्वस्थ होने संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक होगा। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिवहन हेतु उपयुक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। पशु क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाय तथा शासनादेश संख्या–1009/XV-1 /14/1(4)/12 दिनांक 23 सितम्बर, 2014 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(र) पशु बीमा :–

योजनान्तर्गत क्रीत पशु का तीन वर्ष हेतु बीमा किया जायेगा। क्रय स्थल पर ही संबंधित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित बीमा कम्पनी से पशु बीमा/परिवहन बीमा करवाया जायेगा।

3. योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु क्रय किये गये भेड़ एवं बकरी का 05 वर्ष तक लाभार्थी द्वारा विक्रय नहीं किया जायेगा तथा भेड़ एवं बकरी की मृत्यु होने पर संबंधित/नजदीकी पशुचिकित्साधिकारी से निरीक्षण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, ताकि योजना के दुरूपयोग को रोका जा सके।

4. योजनान्तर्गत लाभार्थी का बायोमैट्रिक पंजीकरण उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड में कराया जाना अनिवार्य होगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—143(P)/XXVII(4)/2014 दिनांक 10 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

21/2/2015

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्याः 182 (1) / XV-1/ 2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कूमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग—4/नियोजन अनुभाग।
7. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव